गजानन्द डांगी आत्मज भंवरलाल डांगी जाति डांगी निवासी सुवास थाना रायपुर जिला झालावाड		बनाम	राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर झालावाड।
किस्म मुकदमा	अपील धारा 18 आर्म्स एक्ट	केस नं0	26/2018

जिला– झालावाड

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.9.2018	अपीलार्थी गजानन्द डांगी द्वारा जरिये अभिभाषक श्री अरूण कुमार जेन के अपील अन्तर्गत धारा 18 आर्म्स एक्ट मे विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर झालावाड क्रमांकः लाईसेन्सःरिनीवलःन्यायः2018/167 दिनांक 8.1.2018 के इस न्यायालय मे पेश की गई। रिपोर्ट सरिस्ता एवं प्रस्तुत अपील का अवलोकन कर बहस एडमिशन विद्वान अभिभाषक अपीलांट सुनी गई। अपीलार्थी द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 1629 को आगामी अवधि 1.1.2017 से 31.12.2019 तक नवीनीकरण किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संदर्भ मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनुज्ञापत्रधारी के चरित्र एवं आपराधिक प्रकरणो के संबध मे पुलिस अधीक्षक झालावाड से रिपोर्ट प्राप्त किये जाने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा पत्र क्रमांक 8983 दिनांक 30.6.2017 से अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध संबधित थाने मे आपराधिक प्रकरण दर्ज होने तथा न्यायालय मे विचाराधीन होने से नवीनीकरण किये जाने मे असहमति की रिपोर्ट प्रेषित किये जाने पर जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 झालावाड द्वारा आर्म्स एक्ट की धारा 17 के तहत प्रदत्त शक्तियो के आलोक मे अपीलार्थी द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र को उक्त वर्णित आदेश से निरस्त किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपील मे वर्णित किया गया है कि शस्त्र के दुरूपयोग संबधी कोई आरोप नही है ना ही आर्म्स एक्ट से संबधित कोई प्रकरण थाने मे दर्ज नही है अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 8.1.18 निरस्त किया जाकर धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 1629 बाहर बोर बन्दूक को नवीनीकरण करने के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस मे अपील वर्णित उक्त तथ्यो को दोहराते हुये अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया। हमने एडमिशन की स्टेज पर ही अपील का गुणावगुण के आधार विचार कर पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी पर मनन किया। पुलिस अधीक्षक झालावाड की रिपोर्ट क्रमांक 8983 दिनांक 30.6.2017 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के विरूद्ध चार आपराधिक मुकदमे 204/15 व 19/16 एंव मुक0 नं0 36/16 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम का दर्ज होकर चालान न्यायालय मे पेश किया गया तथा मु0 नं0 8/01 धारा 279, 336 आईपीसी मे न्यायालय द्वारा दिनांक 7.2.2002 को धारा 148 मे दोष सिद्ध होने पर 100 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। पुलिस अधीक्षक की उक्त रिपोर्ट के खण्डन मे अपीलार्थी द्वारा कोई कथन नही किया गया ना ही खण्डन मे कोई साक्ष्य सबूत/आधार अभिलेख प्रस्तुत किये है ऐसी स्थिति मे पुलिस अधीक्षक झालावाड की उक्त रिपोर्ट अपीलांट को आपराधिक प्रवृति का होना इंगित करती है तथा लोकशांति/लोकसुरक्षा के मध्य आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति के पास शस्त्र का धारित रहना कतई उचित नही ठहराया जा सकता लिहाजा उक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील गुणावगुण पर विचार करने उपरांत सारहीन/बलहीन होना प्रकट होने से एडमिशन की स्टेज पर ही खारिज की जाती है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर, निर्णय शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। (के0 सी0 वर्मा)	